

24/10
19

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपाधीत।
वादी वकील ने बताया कि वादी अब आई प्रकल्प
की नहीं बलात्कर नोट प्रेम में खारिज चाहे है।

अतः वादी का बाद पत्र उच्चनी
जगदीश बनाम मेधा उच्च मेघसम मु.नं. 189/16
नोट प्रेम में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

Mot Doss

Hanshp
24/10/19